

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

क्रमांक एफ 16-47/2014/पी-2/31:- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर के टर्न-की अनुबंध में अनियमित भुगतान कर ठेकेदार को अनाधिकृत वित्तीय लाभ पहुंचाने हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निम्नानुसार अधिकारियों को समसंख्यक आदेश दिनांक 26.06.2014 से निलंबित किया जाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच सन्निहित कर दिनांक 26.06.2014 को आरोप पत्रादि जारी किए गए हैं :-

1. श्री व्ही.के.देवडा, तत्कालीन अधीक्षण यंत्री
2. श्री एन.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री

2/- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12.08.2014 से उपरोक्त अपचारी अधिकारियों पर अधिरोपित आरोपों की विस्तृत विभागीय जांच हेतु जांचकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

3/- राज्य शासन एतद्वारा श्री व्ही.के.देवडा, अधीक्षण यंत्री एवं श्री एन.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबन से बहाल करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल में पदस्थ करता है।

4/- निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच प्रकरण के साथ किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.एस.जादीन)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 29 / 11 / 2016

पृ. क्रमांक एफ 16-47/2014/पी-2/31,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी जल संसाधन विभाग भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. संचालक प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
5. मुख्य अभियंता गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा।
7. संबंधित (1) श्री व्ही.के.देवडा, अधीक्षण यंत्री (2) श्री एन.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री (द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग)।
8. अवर सचिव शाखा पी-1 जल संसाधन विभाग भोपाल।
9. संचालक, डाटा सेंटर, जल संसाधन विभाग भोपाल।
10. स्टाफ पंजी।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग